किसानों को ऋण पर ब्याज की दर का बढ़ाया जाना

1792. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बैंकों ने किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिए गये ऋण पर ब्याज की दर को बढ़ाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो किसानो को दिए गए ऋण पर ब्याज की वर्तमान दर कितनी है और अब बैंकों द्वारा कितनी दर की मांग की जा रही है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ट्रैक्टरों की खरीद के लिए किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर में वृद्धि करने के लिए उन्हें बैंकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विभिन्न प्रकार के अग्रिमों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार ब्याज वसूल करना अपेक्षित है। ट्रैक्टरों की खरीद के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत सावधि ऋणों पर इस समय जो ब्याज दरें वसूल की जा रही हैं, वे इस प्रकार हैं :–

धनराशि	ब्याज की दर (प्रति-शत प्रति वर्ष)
25,000 रुपये से अधिक तथा 50,000 रुपए तक	14.0
50,000 रुपए से अधिक तथा 2 लाख रुपए	15.0
2 लाख रुपए से अधिक	15.0 (न्यनतम)

चूंकि 15 प्रतिशत ब्याज की दर न्यूनतम दर है अतः किसी व्यक्ति को दिए गए 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक ब्याज वसूल करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं। निर्धारित ब्याज की दरें अन्य श्रेणी के उधारकर्ताओं को स्वीकृत उतनी ही राशि की ऋणों की तुलना में जहां उधार देने की न्यूनतम दर 20 प्रतिशत है, रियायती है।

देश में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री

1793. **डा० अबरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में पालिका बाजार और गफ्फार मार्किट में विदेशी वस्तुएं खुले रूप में बेची जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विक्रेताओं के पास इन वस्तुओं से संबंधित बिल तथा सीमाशुल्क की रसीद होती है;

(ग) यदि नहीं, तो इन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास सिलीगुड़ी के कौन-कौन से बाजारों में विदेशी वस्तुएं खुले रूप में बची जाती हैं;

(ङ) क्या वहां ऐसी वस्तुओं पर सीमाशुल्क वसूल किया जाता है;

(च) यदि नहीं, तो क्या यह सभी कार्य कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है; और

(छ) सरकार देश में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) सरकार